कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून-248195

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-73/2017-18/
दिनांक : /12/2017

सेवा में,

जिला ग्राम्य वकास अ भकरण,
टिहरी

वषय : जिला ग्राम्य वकास टिहरी, देहरादून का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 09 प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2 (अ) के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या स चव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग 2 (ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या दिनांक:18/2017-18/

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी, जनपद- पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।
2- मुख्य वकास अ धकारी देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड ।

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण आख्या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, **टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून की अवधि 11/2015 से 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय वडथ्वाल, स0ले0प0अ0, श्री केदार सिंह, स0ले0प0अ0, एवं श्री नितिन वर्मा, ले0प0 द्वारा दिनांक 17.05.2017 से 27.05.2017 तक श्री बी0एस0 चन्देल, व0ले0प0अ0 के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

परिचयात्मकः– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, स0ले0प0अ0 एवं श्री शैलेन्द्र कुमार, ले0प0, द्वारा दिनांक 07.12.2015 से 18.12.2015 तक श्री दानिश इकबाल, व0ले0प0अ0 के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 11/2015 से माह 04/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

(प) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र–

(इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाए)

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न वत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)	आ धक्य (+)	बचत (-)
			NA							

(ब) **Autonomous bodies** की इकाईयों के वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक षेश	938.744	1384.888	905.989
वष के दौरान प्राप्तियां			
(क)केन्द्रांष		-	
(ख)राज्यांष		-	
(ग)अन्य प्राप्तियां	1738.654	774.668	493.718
व्यय	1292.51	1253.567	728.330
अंतिम षेश	1384.888	905.989	671.377

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है–

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
		NIL			

भाग 2(अ)

प्रस्तर 1:- दिशा–निर्देशों के अनुरुप निर्धारित प्र क्रया का अनुपालन न कया जाना रु. 6.49 लाख की धनरा श का अवरुद्ध रहना तथा लक्ष्यों की अपूर्ति।

इन्दिरा आवास योजना के जून 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तैयार कए जाने वाले पारदर्शी मानदंडों के आधार पर पंचवर्षीय एवं वा र्षक वरीयता सूची का निर्धारण तथा चयनित लाभा र्थयों का ब्यौरा आवस सॉफ्ट में दर्ज कया जाना था। लाभार्थी द्वारा मकान पूरा करने के लए अपे क्षत संसाधन जुटाने में कठिनाई होने पर सु वधांए प्रधान की जानी थी ता क योजना के अंतर्गत मकान तीन वर्ष की अ धकतम सीमा के भीतर पूरा कया जा सके। वर्ष 2013 से उक्त योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति आवास रु. 75,000/- देय थे।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, टिहरी गढवाल में इन्दिरा आवास योजना से संबन्धित अ भलेखों के अवलोकन में पाया गया कः

पंचवर्षीय वरीयता सूची का निर्धारण नहीं कया गया था तथा बी पी एल सर्वेक्षण 2002 से संबन्धित बी पी एल परिवारों की सूची के आधार पर ही प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता हेतु लाभा र्थयों की सूची तैयार की जाती थी। इसके अतिरिक्त चयनित लाभा र्थयों का ब्यौरा आवास सॉफ्ट पर अपलोड़ नहीं कया गया। केवल वह लाभार्थी आवास सॉफ्ट पर अपलोड़ हुए जिन के खातों में धनरा श हस्तांतरित की गई। इस प्रकार प्रति वर्ष जो लाभार्थी वरीयता सूची में शा मल होने के बावजूद दी जाने वाली सहयता से वं चत रहे, उन का ब्यौरा आवास सॉफ्ट पर अपलोड़ नहीं हो पाने तथा अगले वर्ष नई सूची का निर्धारण कए जाने के कारण योग्य लाभा र्थयों के छूट जाने तथा उन का सहायता से वं चत रहने की संभावन से इंकान नहीं कया जा सकता।

वर्ष 2013-14 हेतु 1076 लाभा र्थयों को, वर्ष 2014-15 में 955 लाभा र्थयों को तथा वर्ष 2015 16 में 397 लाभा र्थयों को मकान हेतु वत्तीय सहायता देने का वा र्षक लक्ष्य निर्धारित कया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क अगस्त 2017 तक वर्ष 2013-14 के निर्धारित आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 131 आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्षों की अ धकतम सीमा के उपरांत भी अपूर्ण रहे। इस प्रकार 131 लाभा र्थयों हेतु तीन वर्षों की अ धकतम सीमा तक मकान पूरा कर पाने के लए अपे क्षत संसाधन जुटाने हेतु सु वधाएं प्रदान करने में वभाग वफल रहा।

योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार से राज्य को वा र्षक आबंटन दो कश्तों में अवमुक्त कया जाना था। वर्ष में कुल उपलब्ध नि धयों के कम से कम 60 प्रतिशत का उपयोग करने

पर ही दूसरी कश्त अवमुक्त कए जाने का प्रावधान था। वर्ष 2014-15 में केन्द्र द्वारा रु. 537.19 लाख तथा वर्ष 2015-16 में रु. 296.25 लाख आबंटित की जानी थी। इसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः रु. 268.59 लाख व रु. 86.66 लाख अवमुक्त कए गए। इस से स्पष्ट है क वभाग प्रावधानों के अनुरूप धनरा श का उपयोग करने में वं चत तथा शहरी और ग्रामीण गरीबी के योग्य पात्रों के लए पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करने में वफल रहे।

इकाई द्वारा प्रशासनिक मद के अंतर्गत उपलब्ध धनरा श रु. 55.01 लाख के सापेक्ष मात्र रु. 28.39 लाख का ही उपयोग हो पाया। उक्त व्यय में से शासन को 0.5 प्रतिशत की दर से रु. 2.75 लाख वापस कए जाने थे परंतु अ भलेखों में पाया गया क वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक शासन/आयुक्त ग्राम्य वकास पौड़ी को कुल रु. 6.19 लाख वापस कए गए थे। शेष व्यय की गई धनराशइ रु. 22.20 लाख में से रु. 13.32 लाख का व्यय दिशा-निर्दशों के प्रावधानों के वरुद्ध अन्य मदों पर कया गया था। सामाजिक लेखा परीक्षा के लए एक प्रतिशत तक व्यय कया जाना था परंतु इसके लए कोई व्यय नहीं कया गया था। इस के अतिरिक्त प्रशासनिक मद में वर्ष 2016-17 के अंत में रु. 26.52 लाख अवशेष थे जब क बैंक खाते में मात्र रु. 3.15 लाख अवशेष पड़े थे।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर परियोजना निदेशक द्वारा स्वीकार कया गया क वर्ष कुल उपलब्ध नि धयों के 60 प्रतिशत का उपयोग न हो पाने के कारण दूसरी कश्त अवमुक्त होने में वलम्ब होता है। आगे बताया गया क लाभार्तियों द्वारा जिला सहकारी बैंक में खाते खोले गए हैं परंतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कम र्शयल बैंक में खाता खोलने पर ही सहायता धनरा श हस्तांतरित की जानी है। 131 आवासों में से 121 आवास पूर्ण कए जा चुके हैं परंतु कम र्शयल बैंक में खाता खोलने में वलंब कए जाने के कारण धनरा श हस्तांतरण में वलंब हुआ। अपात्र लाभा र्थयों को सहायता रा श दिये जाने के संबंध में परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया क लाभा र्थयों द्वारा आवास निर्माण में असमर्थता व्यक्त करने के कारण धनरा श वापस अ भकरण कार्यालय को वापस की गई।

परियोजना निदेशक द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्यों क तीन वर्षों की अ धकतम सीमा तक मकान पूरा कर पाने के लए अपे क्षत संसाधन जुटाने हेतु सु वधाएं प्रदान करने तथा समय से लाभा र्थयों को कम र्शयल बैंक में खाता खुलवाने में वभाग वफल रहा। इस के अतिरिक्त 131 में से 121 आवास पूर्ण होने के संबंध में अ भकरण कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा पाया।

अतः दिशा-निर्देशों के अनुरुप निर्धारित प्र क्रया का अनुपालन न कया जाने रु. 6.49 लाख की धनरा श का अवरुद्ध रहने तथा लक्ष्यों की अपूर्ति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(अ)

प्रस्तर 2:- जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के क्रयान्वयन में धीमा प्रगति, मार्गदर्शी सद्धांतों का उलंघन तथा रु. 67.67 लाख की धनरा श अवरुद्ध रहना।

भारत सरकार के ग्रामीण वकास मंत्रालय, भू म संसाधन वभाग के अंतर्गत चल रहे समे कत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) का मुख्य उद्देश्य राज्यों के वर्षा स चंत सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उ चत प्रबंधन द्वारा प्राथ मकता के आधार पर उत्पादन बढाकर ग्रामीणों की आय में वृद् ध करना है। चूं क कृ ष तथा कृ ष संबंधी कर्याकलाप ग्रामीण आय के मुख्य स्रोत हैं। इस लए कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जाने वाली परियोजनाओं के माध्यम से पारम्परिक फसलों के अतिरिक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जाने वाली परियोजनाओं के माध्यम से पारम्परिक फसलों के अतिरिक्त उच्च मूल्य फसलों के उत्पादन तथा उन की ग्रे डगं से मूल्य संवर्धन द्वारा आय बढाना, जै वक खेती के प्रोत्साहन तथा प्रबंधन की उ चत व्यवस्था करना है राज्य में व भन्न कार्यक्रम/परियोजनों जलागम क्षेत्रों का उपचार कर रही है।

परियोजना प्रवंधन इकाई, ग्राम्य वकास वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, टिहरी गढ़वाल को आई.डब्ल्यू. एम.पी. (छटवां व आठवां बैच) के क्रयान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था ना मत कया गया। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, टिहरी गढ़वाल के लेखा भलेखों के अवलोकन में पाया गया क आई.डब्ल्यू.एम.पी. -VI/2011-12 तथा आई.डब्ल्यू.एम.पी. -VII/2011-13 हेतु क्रमशः खंड वकास अ धकारी, नरेन्द्र नगर तथा खंड वकास अ धकारी, भलंगना को चयनित कया गया। आई.डब्ल्यू.एम.पी. (वर्तमान में प्रधान मंत्री कृ ष संचाई योजना - जलागम वकास) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिस के मार्गदर्शी सद्धांतों के अंतर्गत राज्य के निर्धारित प्र क्रया के अनुसार रेखा वभागों के जिला स्तरीय अ धकारियों को ही कार्यदायी संस्था चयनित कया गया। ऐसी स्थिति में ब्लॉक स्तर पर कार्यदायी संस्था ना मत/चयनित कया जाना कार्यक्रम के मार्गदर्शी सद्धांतों का उलंघन था। कार्यदायी संस्था के परिवर्तन के सम्बन्ध में भी की दिशा-निर्देश/आदेश इकाई में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अ भलेखों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत इस अ भकरण को छटवें व आठवें बैच के अंतर्गत क्रमशः रु. 90.30 लाख रु. 77.93 लाख कुल रु. 168.23 लाख प्राप्त हुए जिस के सापेक्ष वर्ष 2016-17 के अंत तक रु. 67.67 लाख (रु. 37.14 लाख व रु. 30.53 लाख) की धनरा श अनुपयोगी पड़ी हुई थी। उपरोक्त से संबंध में पूछे जाने पर परियोजना निदेशक द्वारा बताया गया क अ भकरण स्वयं कार्यदायी संस्था न होने के

कारण खंड वकास अ धकारी, नरेन्द्र नगर तथा खंड वकास अ धकारी, भलंगना को उक्त कार्य हेतु ना मत कया गया। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी स्वीकार कया गया क आजी वका मशन एवं सूक्ष्म उत्पादन प्रणाली में स्वयं सहायता समूह एवं उपभोक्त समूह का वशेष अनुभव न होने के कारण अपेक्षा के अनुरुप धनरा श का उपयोग नहीं कया जा सका तथा यह आश्वासन दिया गया क वर्ष 2017-18 में धनरा श के पूर्ण उपयोग के संबंध में कार्यवाही कया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

अतः मार्गदर्शी सद्धांतों का उलंघन, जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के क्रयान्वयन में धीमी प्रगति तथा रु. 67.67 लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखे जाने के प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- आवश्यक निर्देशों का पालन न करना एवं 3.5 वर्षों के उपरान्त भी अपूर्ण कार्यों की धनरा श रु. 49.16 लाख का अवरुद्ध रहना।

वत्त नियन्त्रक ग्राम्य वकास उत्तराखण्ड़ पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक/3820/5 लेखा-97/स.सी. एवं प.क्षे. व.नि./2013-14 (26.02.2014) के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत टिहरी जनपद हेतु रु. 265.02 लाख की धनरा श की कार्य योजना की वत्तीय एवं प्रशा.स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई थी।

1. प्रत्येक योजना के लए समय बद्धता निर्धारित कर प्रस्ता वत योजना का क्रयाव्यन शीघ्रति शीघ्र चालू वत्तीय वर्ष में पूर्ण कया जाए।
2. स्वीकृत की जा रही धनरा श का उपभोग 31 मार्च 2014 तक सुनिश्चित कया जाए।
3. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संबं धत जिला धकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।
4. समय-समय पर निर्माण कार्यों में अपे क्षत गुणवत्ता बनाये रखने हेतु मुख्य वकास अ धकारी द्वारा प्रभावी निरीक्षण कया जाए और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा निदेशआलनय को उपलब्ध करायी जाए।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त B.R.G.F योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नि ध से व्यय की जा रही धनरा श की निगरानी रखने हेतु इसका ववरण आन लाईन कया जाना आवश्यक है।

इकाई के उक्त नि ध से संबं धत अ भलेखों की जांच में पाया गया क इकाई द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं कया जा रहा था इकाई द्वारा स्वीकृत धनरा श से कराये जाने वाले कार्यों में से तीन कार्य (02 नरेन्द्रनगर वकास खण्ड़ एवं 01 जौनपुर वकास खण्ड़) जिनकी लागत रु. 15 लाख थी स्थान उपलब्ध थी, कन्तु इकाई के अन्तर्गत उक्त कार्यों में से 08 कार्य ही पूर्ण दर्शाये गये थे (मार्च - 2017 के प्रगति ववरण के अनुसार) जब क जुलाई 2017 के भौतिक प्रगति के आधार पर 14 कार्य पूर्ण दर्शाये गये थे।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुर्ण पृष्ठ पर अं कत बिन्दुओं के संबंध में लेखा-परीक्षा में इं गत कये जाने पर इकाई का कहना था क अगस्त-2017 तक अवशेष 12 से 08 परियोजनाओं की अंतिम कश्त हस्तान्तरण की जा चुकी है शेष की कार्यवाही गतिमान है कार्यों को समय से पूर्ण न कराने के संबंध में इकाई का कहना था क समय-समय पर कार्यदायी संस्थाओं को जिला स्तरीय बैठकों में परियोजनाओं को

पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए जाते है जब क व्यय की जा रही धनरा श को ऑन लाईन करने के संबंध में इकाई का कहना था क ऑन लाईन की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर सन्तोषपूर्ण नहीं है क्यों क उक्त योजनाओं में धनरा श का आवंटन एवं वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुए लगभग (06.03.2014) साढे तीन वर्ष बीतने के बाद भी कार्य पुर्ण नहीं हो पाये थे, जिसके कारण अवरुद्ध धनरा श पर प्राप्त ब्याज व पूर्ण योजनाओं से शेष धनरा श हेतु कोई योजना भी नहीं बनाई जा सकी थी।

अतः वत्त नियंत्रक ग्राम्य वकास के निर्देशों के वपरीत रु. 89.03 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्यों के पूर्ण न होने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)

प्रस्तर 2:- ब्याज प्राप्ति की धनरा श रु. 63.52 लाख को राजकोष में जमा न कया जाना।

प्रमुख स चव वत्त उत्तराखण्ड़ शासन के पत्रांक/347/व.आ.नि.दे. (तृ.रा. व.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी -2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को व भन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनरा श जो क समय पर व्यय न होने के कारण व भन्न बैकों में जमा रहती है पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनरा श को यथा शीघ्र राजकोष (मु.ले.शीर्ष-0049) में जमा कर दिया जाना चाहिए थी।

इकाई के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क इकाई को सांसद नि ध के खातों पर 2014-15 से 2016-17 के मध्य व भन्न बैंक खातों पर रु. 63.52 लाख ब्याज के रुप में प्राप्त हुए थे ववरण इस प्रकार है।

सांसद नि ध	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
लोकसभा	6,83,257	14,52,103	14,88,728	36,24,088
राज्य सभा	5,96,681	9,94,249	11,37,157	27,28,087
(ब्याज) कुल प्राप्त				63,52,175

इकाई द्वारा प्राप्त ब्याज की धनरा श को बैंक में ही जमा रखा गया है जब क इसे राजकोष में जमा करा दिया जाना चाहिए था।

इस संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर इकाई के लेखापाल द्वारा मौ खक रुप से बताया गया क इस आशय को कोई भी आदेश उनके पास नहीं है जब क ल खत में उनके द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः सांसद नि ध के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज की धनरा श रु. 63.52 लाख उपरोक्त शासनादेश के अनुसार राजकोष में जमा नहीं कये जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3:- सांसद नि ध के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु प्राप्त रु. 24.10 की धनरा श अवरुद्ध रहना।

संसद सदस्य स्थानीय वकास योजना (MDLAID) दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.12 के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात सभी अनुशं सत कार्य, अनुशं सत की ति थ से 75 दिनों के अन्दर स्वीकृत कये जाने चाहिए। दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या 3.15 के अनुसार एक बार में संसद सदस्य द्वारा अनुशं सत और जिला प्राधाकारी द्वारा स्वीकृत कये जाने के पश्चात केवल संसद सदस्य के इच्छा से ही रद्द कये जा सकते है व शर्ते कार्यों का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ है और रद्द करने से सरकार पर कसी प्रकार का देयता/लागत का भार न पड़े ।

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य वकास अ भकरण में MPLAID से सम्बन्धित अ भलेखों की जांच में निम्न ल खत कार्यों की स्वीकृति/संस्तुति प्रदान की थी एवं अ भकरण द्वारा धनरा श प्राप्त की गयी थीः-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत एवं प्राप्त धनरा श
1.	सरस्वती वधा मन्दिर कण्डी सौड में कक्ष का निर्माण	व.ख. थौलधार	2,00,000
2.	लामरी धार में स्टे डयम में खैल प्रतियो गता संचालन हेतु दो कक्षों का निर्माण	व.ख. जाखणीधार	3,50,000
3.	नगर पा लका टिहरी में स्थिति सामुदायिक भवन के प्रमाण में सी.सी. निर्माण कार्य	न.पा.प.टिहरी	80,000
4.	टिहरी पंचायत भवन बौराडी में मलन केन्द्र का निर्माण	न.पा.प टिहरी	2,00,000
5.	ग्राम पपली में मलन केन्द्र का निर्माण	व.ख.चम्बा	1,00,000
6.	डुंगी धार में खेल मैदान का निर्माण	व.ख.चम्बा	50,000
7.	ग्राम स्यूटा में हरिजन बस्ती में पेयजल टैंक का निर्माण	व.ख. चम्बा	1,00,000
8.	ग्राम. पं. सौड़ में मलन केन्द्र का निर्माण	व.ख. चम्बा	2,00,000
9.	सला उप्पु में मलन केन्द्र का नि.	व.ख.थौलधार	2,00,000

10.	कैमसारी में सम्पर्क मार्ग का नि.	व.ख. जाखणीधार	80,000
11.	ग्रा. कोश्दी में प्रा. व. का नि.	व.ख. प्रतापनगर	2,00,000
12.	ग्रा.प. कौटा गाँव में यात्री शैक नि.	व.ख. प्रतापनगर	80,000
13.	ग्रा. केम्टी में महिला मलन केन्द्र का नि.	व.ख. जौनपुर	2,50,000
14.	सेमवाल गांव में सी.सी. मार्ग का नि.	व.ख. जौनपुर	1,00,000
15.	ग्रा. तोण खण्ड़ ज्वालामुखी में प्रमाण का नि.	व.ख. मलाना	60,000
16.	परिमाण घण्डियाल धार में सी.सी. मार्ग नि.	व.ख. मलाना	80,000
17.	अनु.जा. बस्ती साग डया के फैगुल में सी.सी. सड़क का निर्माण	व.ख. मलाना	80,000
		योग	2,410,000

उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन हेतु नवम्बर 2014 एवं अक्टूबर 2014 को भारत सरकार से धनरा श प्राप्त हुई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2014 को प्राप्त की गयी थी। अ भलेखों आगे जाँच में पाया गया क उक्त उक्त कार्य न तो प्रारम्भ कये थे और न ही कार्यों को रद्द कया गया है परिणामस्वरुप वभाग के पास धनरा श अवरुद्ध पड़ी है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क कतिपय योजनाए ववाद के कारण निरस्त की गयी है एवं वस्तु स्थित से मा. सांसद को अवगत करा दिया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य अनुशंति कये जाने से एक वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण कये जाने चाहिए थे। वभाग द्वारा न तो कार्य प्रारम्भ कये गये और न ही प्राप्त धनरा श वापस कया है।

अतः रु. 24.10 लाख की धनरा श का अवरुद्ध रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4:- सांसद नि ध के अन्तर्गत रु. **56.05** लाख की धनरा श के व्यय के पश्चात भी 139 कार्य अपूर्ण रहना।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र वकास योजना (MPLAID) के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 3.13 के अनुसार स्वीकृत कार्यों को कार्यान्वित करने में समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। कार्यदायी संस्था द्वारा सामान्य तौर पर एक वर्ष में सम्पादित कया जाना चाहिए यदि कसी कारण वश एव वर्ष की सीमा पार कर जाता है तो उसके लए वशेष कारण बताने चाहिए। बिना वजह से अपूर्ण रहने पर कार्यदायी संस्था के वरुद्ध उ चत कार्यवाही की जानी चाहिए। दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या 6.4(1) के अनुसार जिला प्रा धकारी जिला स्तर पर योजना के अन्तर्गत कये जाने वाले कार्यों के समय समन्वय और पर्यवेक्षण के लए उत्तरदायी होगा। दिशा निर्देशों के प्रस्तर संख्या 6.4(VII) के अनुसार जिला प्रा धकारी कार्यान्वयन अ भकरणों के साथ प्रत्येक माह कसी भी कार्य की समीक्षा करेगा।

सांसद नि ध से सम्बन्धित अ भलेखों की जांच में पाया गया क वर्ष 2014-15 एवं 2016-16 में 375 कार्य हेतु सांसद महदय की अनशंसा से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी और वकास खण्ड़ों की धनरा श प्रदान की गयी थी। आगे जाँच में पाया गया क 375 कार्यों में 139 कार्य जिनकी स्वीकृति धनरा श रु. 139.60 लाख है जिमें से वभाग को रु. 110.70 लाख की धनरा श आवंटित की जा चुकी है उक्त 139 कार्यों में रु. 56.05 लाख व्यय करने बावजूद कार्य अपूर्ण है। उक्त के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क कार्यदायी संस्थाओं से द् वत्तीय माँग प्रस्ताव वभाग को उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाये है। वभाग द्वारा समय-समय पररर चल रहे कार्यों का सत्यापन कया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क कार्यान्वयन अ भकरणों द्वारा प्रत्येक माह व तिमाही में समीक्षा नहीं की गयी जिससे अपूर्ण कार्यों के बाद कार्यावाही नहीं की गयी। उपर्युक्त कार्यों को प्रारम्भ हुए लम्बी अव ध व्ययतीत हो गयी है। जनता को उसका लाभ नहीं मल रहा है।

अतः अपूर्ण कार्यों का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

(ii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'ब' श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, चम्पावत को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2015 एव 12/2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। ---(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 20(1) लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारुप में अं कत कया जाए)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारुप में दों प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के निचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रुप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रे षत की जाए। मुख्यालय पर संबं धत क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या वचारोपरान्त वर्गा धकारी का प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाए। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाए)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाए)

कोई नहीं

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य वकास अ भकरण, टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i)

(ii) शून्य

(iii)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

(ii) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)		
(ii)		
(iii)		

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य वकास प्रा धकरण चम्पावत उत्तराखण्ड, को इस आशय से प्रे षत क वे इसकी अनुपालन/टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर व. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून को सीधे प्रे षत कया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

स्थानीय निकाय